बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञाप

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री बिरेन्द्र नारायण पाण्डेय, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भभुआ को जिला पदाधिकारी, भभुआ के पत्रांक 620 दिनांक 08.03.2013 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र 'क' में वर्णित स्वेच्छाचारिता, वरीय पदाधिकारियों के निदेश का उल्लंघन एवं कर्त्तव्यहीनता के आरोप में बिना छुट्टी स्वीकृत कराये मुख्यालय छोड़ने एवं मनमाने ढंग से कार्यो का निष्पादन करने के लांछन के अभिकथन के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है ।

2. श्री पाण्डेय को विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हेतु उप निदेशक खाद्य, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

3. संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि आरोपी पदाधिकारी को आरोप प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति अपने स्तर से तामिला कराकर तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूरी कर जाँच प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देगें ।

4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भभुआ को साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. आरोपी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आरोप पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपना बचाव पक्ष संचालन पदाधिकारी को अवश्य समर्पित कर देगें ।

ह0/-
(सुरेश ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र08गो0आ0कैमूर-14/2013 2244 /खाद्य,पटना/दिनांक 10/4/2013

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, भभुआ/ उप निदेशक खाद्य, पटना प्रमण्डल, पटना-सह- संचालन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भभुआ-सह- साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी-3 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/श्री अफजल आजमी, आई0टी0 मैनेजर/ श्री बिरेन्द्र नारायण पाण्डेय, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/4/2013

सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\backup\Year_2012(p)\section_8(P)(Nov_11)\Off_ord..doc